


## INDIA OPPOSES GROUP CONSULTATION ON FOOD SUBSIDIES PROGRAMME AT WTO

Recently, India has opposed 10-member group consultation on the food subsidy programme at the World Trade Organization (WTO).

### Key Points

#### Food subsidy programme at WTO:

- WTO's Agreement on Agriculture (AoA) was concluded in **1994**.
- It came into effect in 1995.
- The focus of the AoA is the elimination of what is called "trade-distorting" agricultural subsidies.
- According to the WTO, the overall aim of the Agreement is "to establish a fairer trading system that will increase market access and improve the livelihoods of farmers around the world."
- Under WTO rules, developing countries such as India need to limit their public procurement through minimum support price (MSP) within **10 per cent of the value of the crop**.



#### Concern of AoA:

- It **reduces tariff protection** for small farmers which is a major income source in developing countries.
- After India enacted the **National Food Security Act, 2013**, the demand for public procurement increased significantly.
- Hence, India opposed this base year and limits, because it'd make it impossible to implement food security programs for the poor and MSP for the farmers.

### Bali Ministerial Conference (2013):

- Therefore, as a measure of temporary relief, the Bali summit enacted a “peace clause” for the AoA.
  - Peace clause is an **interim solution** until a permanent solution is found.
  - Under it, if India breaches the 10 per cent limit, other member countries will not take legal action under the WTO dispute settlement mechanism.
  - The **Bali Ministerial meeting (2013)** has not given a format of group consultation.

### Concern of the member countries:

- India has invoked the peace clause for paddy at the WTO, some member countries are not happy with the details provided by India.
  - For example, the EU has said India did not disclose the value of production of many subsidised items such as wheat and pulses, among others.
- The members had expressed concern with India’s **“lack of full transparency”**.
- They had invited India to engage in a technical dialogue regarding the operation of its **PSH programmes**.
- **Public stockholding (PSH) programmes** are used for food security purposes to purchase, stockpile and distribute food to people in need.

### India’s Stand:

- India has opposed group consultation on the food subsidy programme at the World Trade Organization (WTO) because the Bali conference has not given the format of group consultation.
- India provided the details according to the Notification Requirements but it is **not mandatory to include the value of production** in the notification.

## भारत ने विश्व व्यापार संगठन में खाद्य सस्बिडी कार्यक्रम पर सामूहिक परामर्श का विरोध किया


हाल ही में, भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में खाद्य सस्बिडी कार्यक्रम पर 10 सदस्यीय समूह परामर्श का विरोध किया है।

### प्रमुख बिंदु

#### विश्व व्यापार संगठन में खाद्य सस्बिडी कार्यक्रम:

- कृषि पर विश्व व्यापार संगठन का समझौता (एओए) 1994 में संपन्न हुआ था।
- यह 1995 में लागू हुआ।
- एओए का फोकस "व्यापार-विकृत" कृषि सस्बिडी को समाप्त करना है।
- विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, समझौते का समग्र उद्देश्य "एक निष्पक्ष व्यापार प्रणाली स्थापित करना है जो बाजार तक पहुंच को बढ़ाएगी और दुनिया भर के किसानों की आजीविका में सुधार करेगी।"
- विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत, भारत जैसे विकासशील देशों को फसल के मूल्य के 10 प्रतिशत के भीतर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के माध्यम से अपनी सार्वजनिक खरीद को सीमित करने की आवश्यकता है।

### कृषि समझौते के तहत सस्बिडी के तीन रूप हैं



#### एओए की चिंता:

- यह छोटे किसानों के लिए टैरिफ संरक्षण को कम करता है जो विकासशील देशों में आय का एक प्रमुख स्रोत है।
- भारत द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू होने के बाद, सार्वजनिक खरीद की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- इसलिए, भारत ने इस आधार वर्ष और सीमाओं का विरोध किया, क्योंकि इससे गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों और किसानों के लिए एमएसपी को लागू करना असंभव हो जाएगा।

### बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (2013):

- इसलिए, अस्थायी राहत के उपाय के रूप में, बाली शिखर सम्मेलन ने एओए के लिए एक “शांति खंड” अधिनियमित किया।
  - शांति खंड एक अंतरिम समाधान है जब तक कि कोई स्थायी समाधान नहीं मिल जाता।
  - इसके तहत, यदि भारत 10 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करता है, तो अन्य सदस्य देश डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान तंत्र के तहत कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे।
  - बाली मंत्रिस्तरीय बैठक (2013) ने समूह परामर्श का प्रारूप नहीं दिया है।

### सदस्य देशों की चिंता:

- भारत ने विश्व व्यापार संगठन में धान के लिए शांति खंड लागू किया है, कुछ सदस्य देश भारत द्वारा दिए गए विवरण से खुश नहीं हैं।
  - उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ ने कहा है कि भारत ने कई सब्सिडी वाली वस्तुओं जैसे गेहूं और दालों के उत्पादन के मूल्य का खुलासा नहीं किया है।
- सदस्यों ने भारत की “पूर्ण पारदर्शिता की कमी” पर चिंता व्यक्त की थी।
- उन्होंने भारत को अपने पीएसएच कार्यक्रमों के संचालन के संबंध में तकनीकी बातचीत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था।
- सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (पीएसएच) कार्यक्रमों का उपयोग खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए जरूरतमंद लोगों को भोजन खरीदने, भंडारित करने और वितरित करने के लिए किया जाता है।

### भारत का स्टैंड:

- भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम पर समूह परामर्श का विरोध किया है क्योंकि बाली सम्मेलन ने समूह परामर्श का प्रारूप नहीं दिया है।
- भारत ने अधिसूचना आवश्यकताओं के अनुसार विवरण प्रदान किया लेकिन अधिसूचना में उत्पादन के मूल्य को शामिल करना अनिवार्य नहीं है।